राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: पं. 5 (३) न.वि.वि./3/99

1

दिनांक: 09.3.2000

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 15.11.99 द्वारा कृषि भूमि के नियमन सम्बन्धी कार्य में दिन प्रतिदिन आने वाली बाधाओं के निराकरण हेतु शासन सचिव नगरीय विकास की अध्यक्षता में गठित एग्पावर्ड कमेटी को पंचम बैठक दिनांक 11.2 2000 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना में निम्नितिखित आदेश जारी किये जाते हैं:-

- 1. राजस्थान भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम 1963 से प्रभावित भूमियों के नियमन किये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि चृकि राज्य सरकार के शहरी क्षेत्रों में आवासीय/वाणिज्यिक रूपान्तरण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.2.94 व 23.7.97 के अनुसार पूर्व में कई सहकारी सिमितियों के भूखण्डों का रूपान्तरण राजस्थान भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम 1963 से प्रभावित भूमियों को राजकीय भूमि की श्रेणी में मानकर सम्परिवर्तन शुल्क की 10 गुना राशि भूमि को कीमत के रूप में वसूल की जाकर भूखण्ड के आवंटन करने की कार्यवाही की गई थी। अतः अब भी राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.7.99 एवं आदेश क्रमांक : पं. 5 (3) न.वि.वि./3/99/5 दिनांक 27.9.99 के बिन्दु संख्या 2 के अन्तर्गत ऐसी भूमि को राजकीय मानते हुए राजकीय भूमि की दर आरक्षित दर के 25 प्रतिशत अथवा 300 रुपये प्रतिवर्ण, जो भी अधिक हो, से नियमन राशि वसूल किया जाकर भूखण्डों के नियमन/आवंटन की कार्यवाही की जावे परन्तु ऐसा करते समय यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि सिमिति के पक्ष में भूमि का विक्रय इकरार हो और कोई कोर्ट स्टे नहीं हो।
 - 2. राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 से प्रभावित भूमियों के नियमन के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय किया गया कि चूंकि पूर्व में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 2 (8) राजस्व/भुरू/90 दिनांक 18.2.94 एवं 23.4.97 के अन्तर्गत ऐसी भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए 10 गुना राशि भूमि की कीमत के रूप में ली जाकर आवंटन करने का प्रावधान किया गया था, परन्तु नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक पं. 5 (3) न.वि.वि./3/99 दिनांक 10.7.99 के द्वारा राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 से प्रभावित भूमि के सम्बन्ध में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के प्रावधान लागू नहीं किये गये हैं। अत: निर्णय लिया गया कि चूंकि पूर्व में राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 18.12.94 व 23.4.57 के अन्तर्गत भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए 10 गुना राशि भूमि को कोमत के रूप में ली जाकर आवंटन/नियमन करने का प्रावधान किया गया था। अत: नगरीय विकास विभाग के वर्तमान आदेश क्रमांक: पं. 5 (3) न.वि.वि./3/99 दिनांक 27.9.99 के बिन्दु संख्या-2 के अन्तर्गत राजकीय भूमि

को दर आरक्षित दर के 25 प्रतिशत अथवा 300 रुपये प्रतिवर्ग गज जो भी अधिक हो, से नियमन राशि वसूल की जाकर ऐसे भूखण्डों के नियमन/आवंटन की कार्यवाही की जाए। ऐसा करते समय यह देख लिया जाए कि समिति के पक्ष में भूमि का विक्रय इकरार हो और कोई कोर्ट स्टे न हो। 0

0

0

0

0

0

()

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 3. नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 1976 से प्रभावित भूमि के नियमन के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेश दिगांक 10.7.99 में निर्णत नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 1976 राजस्थान में विलोपित हो जाने के कारण तत्सकान्धी प्रतिवन्ध को समान्त करते हुए नगरीय विकास विभान द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.7 99 को तद्नुसार संशोधित समझा जावे।
- 4. बेरी आयोग से प्रभावित योजनाओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के मामलों में न्यायालय से या तो यह निर्णय होगा कि भूमि को खातेदारी की मानी जावे अथवा भूमि को सरकारी माना जावे अत: बेरी आयोग से प्रभावित योजनाओं जिनमें कि पृथिक गृह निर्माण सहकारी सिमिति की योजना 10 नी एवं अन्य योजनाऐं हैं, उन सभी योजनाओं में, भूखण्डधारों से एक अण्डर टेकिंग इस आश्य की ली जाकर कि यदि राज्य सरकार/न्यायालय इसे राजकीय भूमि घोषित करती है तो उसके अनुसार जो कोई अतिरिक्त नियमन राशि देय होगी, चुका दी जाएगी वर्तमान में इसे खातेदारी भूगि मानकर तदानुसार नियमन राशि ली जाकर भू-नियमन की कार्यवाही की जावे।
- 5. राजस्थान शहरी क्षेत्र (भूखण्डों के उप विभाजन, पुनर्गठन एवं विकास) नियम, 1974 के नियम 13 एवं 14 में शिथिलता प्रदान की जाती है।*
- 6. भू-नियमन शिविरों में रखी गयी योजनाओं के नियमन की दरें राज्य सरकार से अनुमोदित करायी गयी थी। परन्तु कुछ योजनाओं में हड़ताल की अविध में संशोधन करके योजनाओं के कैम्प राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में लगाकर कार्यवाही कर ली गयी अत: जिन योजनाओं में नियमन की दर संशोधित की गयी उसका अनुमोदन किया जाता है। प्राधिकरण इन योजनाओं की सूची दरों में किए गए संशोधन के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार का भिजवायें। इसी प्रकार हड़ताल के कारण 90 (बी) की कार्यवाही के वाद ज वि.प्रा. के पक्ष में नामान्तरण हुए बिना ही नियमन की जो कार्यवाही की गई है उसका अनुमोदन किया गया। अब नामान्तरण तस्दीक करा लिए जाएँ।

7. (1) विकास शुल्क ** :-

- (अ) सहकारी सिमितियों की ऐसी योजनाएँ जिसमें भूखण्डधारियों ने पूर्व में तत्समय प्रचलित आदेशों के तहत देय सम्पूर्ण रूपान्तरण शुल्क गय पेनेत्टी के जना करवा दिया हो परन्तु गरीधीय विकास
- ै राजस्थान शहरी क्षेत्र (भूखण्डों के उप विभाजन, पुनर्गठन एवं विकास) नियम 1974 के नियम 13 व 14 की प्रति
- ** परिपत्र क्रमांक 5 (8) न.वि.वि./3/99 दिनांक 26.5.2000 के बिन्दु संख्या 11 का भी अवलोकनीय किया जाए।

शुल्क एवं विकास गुल्क जमा नहीं कराया है, तो उनसे विकास शुल्क के रूप में 40.00 हपये प्रति वर्ग गज की दर से राशि व जूल की जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे।

- (ब) जिन मामलों में तत्समय देव निकास शुल्क 25.00 रुपये प्रति वर्ग गज तथा त समय देय परीधीय शुल्क जमा करवा दिया हो या तत्समय देय 40.00 रुपये प्रति वर्ग गज विकास शुल्क जमा करवा दिया गया हो, उनसे अब विकास शुल्क के रूप में कोई राशि नहीं ली जावेगी।
- (स) यदि तत्समय देव विकास शुल्क 25.00 रुपये से आंशिक विकास शुल्क ही जमा कराया गया हो या केवल परीधाय विकास शुल्क ही जमा कराया हो, या तत्समय देव 40.00 रुपये प्रति वर्गगज विकास शुल्क में से आंशिक विकास शुल्क ही जमा कराया है तो विकास शुल्क के पेटे 40.00 रुपये प्रति वर्गगज के अन्तर की राशि जमा करवा ली जावेगी।
- (2) रूपान्तरण शुल्क :-
- (अ) यदि भूमि इकरारनामा से खरीदी हो या पंजीकृत विक्रय पत्र से यदि भूखण्डधारी द्वारा 26.12.81 से 31.10.84 तक तत्समय देय सम्परिवर्तन शुल्क रियायती/सामान्य दर पर राशि जमा करवा दी हो तो उसे सम्पूर्ण सम्परिवर्तन शुल्क की अदायगी माना जावेगा।
- (व) यदि 31.10.84 के बाद तत्समय देय सामान्य दर से सम्पूर्ण रूपान्तरण राशि मय शास्ति जमा
 करवा दी हो तो उसे सम्पूर्ण रूपानारण शुल्क की अदायगी माना जावेगा।
- (स) राजस्व विभाग को क्रमांक : एफ. 2 (8)/राजस्व/(भू) 90 दिनांक 3.3.92 के संशोधन में इकरारनामों के मामलों में रूपान्तरण शुल्क की सामान्य सम्परिवर्तन शुल्क से दुगुनी की गयी थी। यह आदेश उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ 2.3.92 तक तत्समय देय सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी गयी हो क्योंकि ऐसे मामलों में 26.12.81 से 2.3.92 के मध्य तत्समय देय सम्पूर्ण रूपान्तरण राशि जमा करवा दी गयी थी।

आज्ञां से

सहीं/-

(श्री राम मीणा

उपशासन सचिव

(84)(268)